

desh have stated that a project for constructing 90 tubewells in Garh area of Saharanpur district is already under their consideration.

**Establishment of Institute of Petroleum Technology in AMU**

4685. SHRI RASHID MASOOD: Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Aligarh Muslim University, Aligarh for the establishment of an Institute of Petroleum Technology with the financial help of the Ruler of the United Arab Emirates; and

(b) if so, by what date the Institute is expected to start functioning?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes, Sir.

(b) A detailed Project report to establish this Institute has been prepared.

**प्राचीन स्मारकों तथा अजन्ता भित्ति चित्रों के लिए आर्वांटिट धनराशि का उपयोग**

4686. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग को प्राचीन स्मारकों का सर्वेक्षण करने और अजन्ता के भित्ति चित्रों की फोटो प्रतियां तैयार करने के लिए आर्वांटिट की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

आर्वांटिट धनराशि का पूर्णतः उपयोग किया गया है ।

**भारत सरकार मुद्रणालयों में रीडर के पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा**

4687. श्री राम प्रसाद देशमुख : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या रीडर के पद पर पदोन्नति के लिए सामान्यतः प्रति दो वर्षों के बाद ली जाने वाली परीक्षा 20—22 वर्षों के पश्चात् अगस्त, 1976 में हुई थी ;

(ख) क्या परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कोई रियायत नहीं दी गई ;

(ग) क्या इन मुद्रणालयों में जो कर्मचारी गत 20—21 वर्षों से कार्य कर रहे थे तथा जिन्हें गत 4—5 वर्षों में दो दो पदोन्नतियां दे दी गई थी उन्हें भी इस परीक्षा के कारण पदावनत कर दिया गया ;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा के नियमों को रिंग रोड और मिन्टो रोड स्थित भारत सरकार के मुद्रणालयों में समान रूप से लागू किया गया है ;

(ङ) क्या इस परीक्षा के कारण मिन्टो रोड मुद्रणालय में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदावनत नहीं किया गया जब कि रिंग रोड स्थित मुद्रणालय में कर्मचारियों को पदावनत किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अगस्त, 1976 में पहली बार, मुद्रण निदेशालय द्वारा उन मुद्रणालयों के बारे में केन्द्रित

रूप से परीक्षा ली गई थी जहां रोडरों की रिक्तियां मौजूद थीं। इससे पूर्व परीक्षाएँ मुद्रणालयों के उन प्रबन्धकों द्वारा स्वयं ली जाती थी जहां रिक्तियां होती थीं। यह सत्य है कि कतिपय मुद्रणालयों में पिछले 20 वर्ष से अधिक की अवधि से कोई परीक्षा नहीं ली गई थी।

(ख) परीक्षा नियमों के अन्तर्गत कोई छूट अनुमेय नहीं थी तथा न ही कोई दी गई।

(ग) जी हां। कुछ लोगों को रोडर-ग्रेड-II तथा ग्रेड-I के पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया था। यह पदोन्नति इस स्पष्ट शर्त पर थी कि इन पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति रोडरशिप की अर्हकारी परीक्षा के अधीन होगी। जब वे अर्हकारी परीक्षा में असफल हो गए तो उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). परीक्षा के परिणाम घोषित करते समय मुद्रणालयों को सरकार की नीति से सूचित कर दिया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे उम्मीदवार जो सफल घोषित किए गए हैं, सामान्य अर्हता में छूट देकर रोडर के पदों पर बने रहने दिए/पदोन्नति किए जा सकते हैं, बशर्ते कि वे इस प्रकार बनाये रखने/पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न पाये गये हों। इस नीति के अनुसार, महा-प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उनके पिछले पदों पर प्रत्यावर्तित नहीं किया है जब तक कि इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता। जब कि भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड ने तदर्थ आधार पर रखे हुये ग्रेड-II और ग्रेड-I के आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों समूहों के सभी असफल रोडरों को प्रत्यावर्तित कर दिया था।

#### Coverage of Floor of D.D.A. Plots

4688. SHRI KACHRU LAL HEM RAJ JAIN: Will the Minister of

WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the criteria of allowing 75 per cent coverage on each floor of plots measuring 84 square meters by the DDA;

(b) the cases where this coverage of 75 per cent has been allowed on plots measuring 84 sq. meters; the names of persons to whom allowed; and

(c) the reason for not allowing all plot holders measuring 84 sq. meters coverage of 75 per cent and whether it is now proposed to allow; and if so, the particulars thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The practice of allowing 75 per cent coverage on each floor of plots measuring 84 sq. mts. was allowed in those cases where the building activities were released prior to September 1962 when the Master Plan came into force. This practice was extended to the other colonies in the post-Master Plan period also.

(b) Delhi Development Authority has reported that more than 1000 persons have been dealt with in this manner and the names of persons to whom this coverage was allowed can be prepared only after consulting approximately 50,000 files.

(c) Keeping in view the large number of small plots which have recently been carved out and keeping the density and environmental standards in view there is a proposal to reduce the coverage from 75 per cent on small size plots. The matter is under consideration at the moment in Delhi Development Authority.

#### Plans for Set-back in Pitampura Residential Scheme

4689. SHRI KACHRU LAL HEM RAJ JAIN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the DDA has rejected any plans on the plea that a minimum